



# CHHATTISGARH SWAMI VIVEKANAND TECHNICAL UNIVERSITY, BHILAI

## छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानन्द तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई

क्रमांक / 1566 / छस्वावितवि / सूप्र. / 18

भिलाई, दिनांक : २५/६/१८

प्रति,

प्राचार्य

(समस्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय/पालीटेक्निक संस्थाएं)

.....  
.....

**विषय:** इंजीनियरिंग एवं डिप्लोमा इंजीनियरिंग के तृतीय सेमेस्टर में Internal Counselling करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत इंजीनियरिंग एवं डिप्लोमा इंजीनियरिंग के तृतीय सेमेस्टर में ब्रांच परिवर्तन के लिए Internal Counselling की अंतिम तिथि 10 जुलाई 2018 निर्धारित की जाती है। ब्रांच परिवर्तित विद्यार्थियों की सूची दिनांक 16 जुलाई 2018 तक अनिवार्य रूप से विश्वविद्यालय में जमा करें।

उपरोक्त निर्धारित तिथि उपरांत कोई भी सूची स्वीकार नहीं की जावेगी।

*Ques* *✓*  
कुलसचिव . 24/6/18  
छस्वावितवि, भिलाई

प्रतिलिपि :

1. संचालक, संचालनालय तकनीकी शिक्षा, रायपुर (छत्तीसगढ़)
2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, (सूचना विभाग) छस्वावितवि, भिलाई।
3. निज सहायक, माननीय कुलपति महोदय छस्वावितवि, भिलाई।
4. मास्टर फाइल।



# CHHATTISGARH SWAMI VIVEKANAND TECHNICAL UNIVERSITY, BHILAI

## छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानन्द तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई

क्रमांक / 1565 / छस्वावितवि / सू.प्र. / 18

भिलाई, दिनांक : 25/6/18

प्रति,

प्राचार्य

(समस्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय / पालीटेक्निक संस्थाएं )

विषय: राज्य में स्थित तकनीकी संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानांतरण एवं विश्वविद्यालय स्थानांतरण के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत इंजीनियरिंग के तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर तथा डिप्लोमा इंजीनियरिंग के तृतीय सेमेस्टर में कॉलेज स्थानांतरण के लिये T1 एवं T2 विश्वविद्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई 2018 निर्धारित की जाती है। निर्धारित तिथि पश्चात् कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

Internal Counselling की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् ही छात्रों को T2 प्रदान किया जावे।

राज्य एवं राज्य के बाहर स्थित अन्य विश्वविद्यालय से इस विश्वविद्यालय में स्थानांतरण हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जुलाई 2018 निर्धारित की जाती है।

*Deepti* 25/6/18  
कुलसचिव  
छस्वावितवि, भिलाई

प्रतिलिपि :

1. संचालक, संचालनालय तकनीकी शिक्षा, रायपुर (छत्तीसगढ़)
2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, (सूचना विभाग) छस्वावितवि, भिलाई।
3. निज सहायक, माननीय कुलपति महोदय छस्वावितवि, भिलाई।
4. मास्टर फाइल।

छत्तीसगढ़ शासन  
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा  
एवं रोजगार विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक : एफ 9-37/2014/तक.शि./42

नया रायपुर, दिनांक 17/10/2017

प्रति,

संचालक,  
तकनीकी शिक्षा संचालनालय  
इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छत्तीसगढ़)

**विषय :-** तकनीकी संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रों के ब्रांच परिवर्तन एवं एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानांतरण के संबंध में नीति में आंशिक संशोधन बाबत्।

--००७--

राज्य शासन एतद्वारा राज्य में स्थित तकनीकी संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रों के एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानांतरण के संबंध में विभागीय भासांख्यक आदेश दिनांक 18.09.2014 के सं. क्र. 02 के संशोधित प्रावधान में निम्नानुसार आंशिक संशोधन हेतु सहमति प्रदान करता है :-

क्र.	पूर्व प्रचलित नीति	आंशिक संशोधन
1	1. <b>पॉलीटेक्निकों</b> में तृतीय सेमेस्टर में स्थानांतरण एवं ब्रांच परिवर्तन किये जाने के लिए छात्र का प्रथम सेमेस्टर में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।	1. विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक संबद्ध संस्था से दूसरी संबद्ध संस्था में स्थानांतरण के मामले में <b>पॉलीटेक्निकों</b> के तृतीय सेमेस्टर में स्थानांतरण के लिए प्रथम सेमेस्टर में उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता नहीं होगी।
2	2. <b>इंजीनियरिंग</b> महाविद्यालयों में तृतीय सेमेस्टर में स्थानांतरण/ब्रांच परिवर्तन किये जाने के लिए छात्र का प्रथम सेमेस्टर में उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया है और पंचम सेमेस्टर में स्थानांतरण/ब्रांच परिवर्तन किये जाने के लिए प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सेमेस्टर उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता नहीं होगी।	2. विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक संबद्ध संस्था से दूसरी संबद्ध संस्था में स्थानांतरण के मामले <b>इंजीनियरिंग</b> महाविद्यालयों में तृतीय सेमेस्टर में स्थानांतरण के लिए प्रथम सेमेस्टर एवं पंचम सेमेस्टर में स्थानांतरण के लिए प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सेमेस्टर उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता नहीं होगी।  वैकल्पिक विद्यार्थियों के मेरिट निर्धारण की शर्तें विश्वविद्यालय द्वारा तय की जावेगी। स्थानांतरण नीति की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(नीलकंठ टीकाम)

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

% कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा  
एवं रोजगार विभाग

निरंतर...//2//पर...



DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION, CHHATTISGARH

संचालनालय तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़

Indrawati Bhavan, Block-3, 3rd /4th Floor, Naya Raipur - 492002

इन्द्रावती भवन, ब्लॉक-3 तृतीय/चतुर्थ-तल, नया रायपुर . 492002

Phone : 0771- 2331330, 2421376, Fax : 2331331, Website : <http://www.cgteraiapur.ac.in>

info  
R  
19-9-14

क्रमांक / 2014 / शैक्ष / १३६९

प्रति,

कुल सचिव,  
छ.ग. खामो विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय  
नार्थ पार्क एवेन्यु, सेक्टर-8,  
भिलाई, छ.ग।

नया रायपुर, दिनांक 18/09/2014

विषय:- राज्य में स्थित तकनीकी संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के ब्रॉच परिवर्तन एवं एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानांतरण के संबंध में।

संदर्भ:- छ.ग. शासन, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर, के पत्र क्र/एफ 9-37/2014/तक.शि./42 नया रायपुर दिनांक 18.09.2014

—00—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। जिसमें राज्य शासन एतद् द्वारा, राज्य में स्थित तकनीकी संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के ब्रॉच परिवर्तन एवं एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानांतरण के संबंध में पूर्व प्रचलित नीति में संशेधन की सहमति प्रदान की गई है।

अतः शासन से प्राप्त सहमति अनुसार नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

आयुक्त सह संचालक  
तकनीकी शिक्षा, छ.ग.

पृ.क्रमांक / 2014 / शैक्ष / १३७०

प्रतिलिपि:-

- समर्त प्राचार्य, शासकीय एवं निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय/शासकीय एवं निजी पॉलीटेक्निक संस्थाए छ.ग।

नया रायपुर, दिनांक 18/09/2014

आयुक्त सह संचालक  
तकनीकी शिक्षा, छ.ग.

JD (Acad.)  
१८/१  
१२/१

**छत्तीसगढ़ शासन**  
**तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन,**  
**विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग**  
**मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर**

क्रमांक : एफ 9-37/2014 / तक.शि. / 42  
 प्रति.

नया रायपुर दिनांक १४-७-२५

आयुक्त-सह-संचालक  
 तकनीकी शिक्षा छत्तीसगढ़,  
 इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।

**विषय:-** राज्य में स्थित तकनीकी संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के ब्रांच परिवर्तन एवं एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानांतरण के संबंध में नीति निर्धारण।

—000—

राज्य शासन, एतदद्वारा, राज्य में स्थित तकनीकी संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के ब्रांच परिवर्तन एवं एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानांतरण के संबंध में पूर्व प्रचलित नीति में निम्नानुसार संशोधन बाबत् सहमति प्रदान करता है:-

क्र.	पूर्व प्रचलित नीति	संशोधन
1.	एक पॉलीटेक्निक से दूसरे पॉलीटेक्निक में स्थानांतरण द्वितीय वर्ष में एवं एक इंजीनियरिंग महाविद्यालय से दूसरे इंजीनियरिंग महाविद्यालय में स्थानांतरण द्वितीय तथा तृतीय वर्ष में किया जाना उल्लेखित था।	एक पॉलीटेक्निक से दूसरे पॉलीटेक्निक में स्थानांतरण तृतीय सेमेस्टर में एवं एक इंजीनियरिंग महाविद्यालय से दूसरे इंजीनियरिंग महाविद्यालय में स्थानांतरण तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर में किया जाएगा।
2.	अनुत्तीर्ण छात्रों का स्थानांतरण और ब्रांच परिवर्तन किया जाना उल्लेखित था।	(1) पॉलीटेक्निकों में तृतीय सेमेस्टर में स्थानांतरण एवं ब्रांच परिवर्तन किये जाने के लिए छात्र का प्रथम सेमेस्टर में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। (2) इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में तृतीय सेमेस्टर में स्थानांतरण/ब्रांच परिवर्तन किये जाने के लिए छात्र का प्रथम सेमेस्टर में उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया है और पंचम सेमेस्टर में स्थानांतरण/ब्रांच परिवर्तन किये जाने के लिए प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सेमेस्टर उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।
3.	स्थानांतरण के लिए संचालनालय द्वारा स्थानांतरण प्रमाण पत्र T-3 जारी किया जाता था।	स्थानांतरण के लिए संचालनालय के स्थान पर विश्वविद्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र T-3 जारी किया जाएगा।
4.	पॉलीटेक्निक एवं इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में ब्रांच	(1) पॉलीटेक्निक एवं इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में ब्रांच परिवर्तन/

	<p>परिवर्तन/स्थानांतरण किन ब्रांचों में हो सकता है। यह स्पष्ट नहीं था।</p>	<p>स्थानांतरण निम्न ब्रांचों में होगा :-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(अ) बीई (बायोटेक्नोलॉजी) पाठ्यक्रम के लिए को छोड़कर अन्य सभी पाठ्यक्रमों में आपसी ब्रांच परिवर्तन होगा।</li> <li>(ब) डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए Civil/Mechanical/Electrical/Metallurgical/Instrumentation/Mining/Chemical Engineering में आपसी ब्रांच परिवर्तन होगा।</li> <li>(स) डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए Computer Science &amp; Engineering और Information Technology में आपसी ब्रांच परिवर्तन होगा।</li> </ul> <p>(2) पॉलीटेक्निक एवं इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में ब्रांच परिवर्तन/स्थानांतरण निम्न ब्रांचों में होगा :-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(अ) डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए Electronics &amp; Telecommunication Engineering में/से ब्रांच परिवर्तन नहीं होगा।</li> <li>(ब) नॉन पीपीटी डिप्लोमा, फार्मसी पाठ्यक्रमों तथा स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों में ब्रांच परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।</li> </ul>
5.	<p>किसी पॉलीटेक्निक या इंजीनियरिंग महाविद्यालय अथवा किसी पाठ्यक्रम के बंद होने की स्थिति में अध्ययनरत छात्रों का अन्यत्र संरक्षा में स्थानांतरण द्वारा समायोजन किये जाने का कोई उल्लेख नहीं था।</p>	<p>किसी पॉलीटेक्निक या इंजीनियरिंग महाविद्यालय अथवा किसी पाठ्यक्रम के बंद होने की स्थिति में अध्ययनरत छात्रों का अन्यत्र संरक्षा में स्थानांतरण द्वारा समायोजन किया जाएगा।</p>
6.	<p>ट्यूशन फीस वेक्हर एवं Lateral Entry के अंतर्गत प्रवेश के पश्चात् रिक्त सीटों को स्थानांतरण/ब्रॉच परिवर्तन के लिए शामिल न किये जाने के संबंध में स्पष्ट उल्लेख नहीं था।</p>	<p>ट्यूशन फीस वेक्हर एवं Lateral Entry के अंतर्गत प्रवेश स्वीकृत क्षमता के Over and Above किये जाते हैं। अतः इनकी रिक्त रह गई सीटों को स्थानांतरण/ब्रॉच परिवर्तन के लिए शामिल नहीं किया जायेगा।</p>

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

*लैप्टॉप संस्कृति*  
(याकुब खस्स)  
उप सचिव

दूरभाष :— 0771-2510015

क्रमांक : एफ 9-37/2014/तक.शि./42

प्रतिलिपि:-

नया रायपुर दिनांक

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर
2. निज सहायक, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर
3. कुल सचिव, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई।
4. प्राचार्य, समस्त शासकीय/निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय एवं पॉलीटेक्निक संस्थाएँ, छत्तीसगढ़
5. सारटर फार्मल

(याकृब खेस्स)

उप सचिव

दूरभाष :- 0771-2510015

## तकनीकी शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़

**विषयः—** तकनीकी संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रों के ब्रांच परिवर्तन एवं एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानांतरण के संबंध में नीति निर्धारण । (संशोधित)

...00...

तकनीकी संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रों का उसी संस्था में ब्रांच परिवर्तन एवं एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानांतरण के संबंध में निम्नानुसार नीति निर्धारित किया जाता है ।

(1) संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रों के ब्रांच परिवर्तन

पॉलीटेक्निक एवं इंजीनियरिंग महाविद्यालय दोनों के लिये —

- (i) काउंसिलिंग द्वारा प्रथम वर्ष में प्रवेशित छात्रों की ब्रांच परिवर्तन के संबंध में कार्यवाही स्थान रिक्त होने पर ही पी.ई.टी./पी.पी.टी. के नियम के अनुसार संबंधित संस्था के प्राचार्य द्वारा की जायेगी। जिन ब्रांचों में प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम एक समान नहीं है, उन ब्रांचों में आपसी परिवर्तन भी संस्था के प्राचार्यों द्वारा की जा सकेगी। तथापि ऐसे समाले में छात्र को परिवर्तित ब्रांच के विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार अतिरिक्त विषय उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। इस संबंध में छात्र से एक घोषणा पत्र (Undertaking) लेना होगा जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख हो कि छात्र नये ब्रांच में जाने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उस नये ब्रांच के पाठ्यक्रम (Syllabus) के अनुसार अतिरिक्त विषयों की परीक्षा उत्तीर्ण करने की जिम्मेदारी उसकी स्वयं की रहेगी।
- (ii) जिन ब्रांचों में प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम एक समान है, उनमें द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर) में रिक्त स्थान उपलब्ध होने पर ब्रांच परिवर्तन प्रथम वर्ष की परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर संस्था/संस्थाओं स्तर पर ही किया जा सकेगा। रिक्त स्थान की गणना के लिये ट्यूशन फी वेहर एवं/ अथवा लेटरल एण्ट्री की रिक्त सीटों को नहीं लिया जायेगा।
- (iii) ब्रांच परिवर्तन हेतु विश्वविद्यालय को सूचित करने की जवाबदारी संचालनालय एवं संबंधित महाविद्यालय की होगी।

शासकीय इंजीनियरिंग/पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों में ब्रांच परिवर्तन की कार्यवाही के लिए सब्र में प्रवेशित छात्रों की प्रथम वर्ष की परीक्षा के उपरांत उन्हें इस आशय की सूचना देकर उनसे आवेदन पत्र प्राप्त करें, एवं नये सब्र में कक्षाएं प्रारंभ होने के पूर्व ही ब्रांच परिवर्तन की सूची मेरिट के अनुसार संचालक की अनुमति से जारी करें।

- 2 (अ) एक तकनीकी संस्था से दूसरी तकनीकी संस्था में स्थानांतरण (इंजीनियरिंग महाविद्यालयों एवं फार्मेसी संस्थाओं हेतु) ।

प्रथम वर्ष एवं अंतिम वर्ष में स्थानांतरण का प्रावधान नहीं रहेगा (डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रम में द्वितीय सेमेस्टर में स्थानांतरण का प्रावधान रहेगा ।)। स्थानांतरण केवल द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में ही केवल स्थान रिक्त होने पर किये जा सकेंगे। स्थानांतरण का प्रावधान निम्नानुसार रहेगा —

- 2(अ)1. एक शासकीय तकनीकी संस्था से दूसरी शासकीय तकनीकी संस्था स्वशासी—स्ववित्तीय संस्था अथवा निजी संस्था में स्थानांतरण हो सकेंगे।
- 2(अ)2. एक स्वशासी—स्ववित्तीय संस्था से निजी तकनीकी संस्था में स्थानांतरण हो सकेंगे परंतु शासकीय संस्था में स्थानांतरण का प्रावधान नहीं रहेगा।
- 2(अ)3. एक निजी संस्था से अन्य निजी संस्था में स्थानांतरण हो सकेंगे परंतु स्वशासी—स्ववित्तीय संस्था एवं शासकीय तकनीकी संस्था में स्थानांतरण का प्रावधान नहीं रहेगा।

- 2(अ) 4. स्थानांतरण के लिये आवश्यकता –
- 4(i). जिस संस्था में स्थानांतरण मांगा जा रहा है वहाँ रिक्त स्थान होने पर ही स्थानांतरण किया जा सकेगा। ट्यूशन फी वेहर एवं लेटरल एण्ट्री के कारण रिक्त रह गई सीटों को रिक्त सीट की गणना में नहीं लिया जाना है।
- 4(ii). स्थानांतरण उसी ब्रांच में किया जा सकेगा जिसमें पूर्व कक्षाओं की परीक्षा उत्तीर्ण की होगी। तथापि ब्रांच परिवर्तन के साथ स्थानांतरण भी हो सकेंगे, परंतु इसके लिये विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार अतिरिक्त विषय उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। इस संबंध में छात्र से एक घोषणा पत्र (Undertaking) लेना होगा जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख हो कि छात्र नये ब्रांच में जाने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उस नये ब्रांच के पाठ्यक्रम (Syllabus) के अनुसार अतिरिक्त विषयों की परीक्षा उत्तीर्ण करने की जिम्मेदारी छात्र की स्वयं की रहेगी।
- 4(iii). स्थानांतरण इंजीनियरिंग में द्वितीय एवं तृतीय वर्ष तक रिक्त स्थान उपलब्ध होने पर किया जा सकेगा।
- 4(iv). संबंधित संस्थाओं के प्राचार्यों की अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक होगी।
- 4(v). छ.ग. स्वामी विवेकानन्द तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई, ४०३० को सूचना दिया जाना आवश्यक होगा।
- 4(vi). यदि किसी संस्था में स्थानांतरण चाहने वाले छात्रों की संख्या उस संस्था में संबंधित ब्रांच में उपलब्ध रिक्त स्थानों की संख्या से अधिक होगी तो स्थानांतरण पूर्व वर्ष की परीक्षा में प्राप्तांकों के मेरिट के आधार पर ही किया जा सकेगा।
- 4(vii). स्थानांतरण चाहने वाले छात्र को अध्ययनरत संस्था में तथा जिस संस्था में स्थानांतरण चाहता है दोनों संस्थाओं में स्थानांतरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
- 4(viii). छात्र के आवेदन पर दोनों संस्थायें अनापत्ति प्रमाण पत्र छात्र को जारी करेंगे। अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप छोड़ने वाली संस्था के लिये T-1 एवं लेने वाली संस्था के लिये T-2 में होना अनिवार्य है।
- 4(ix). प्रारूप T-1 एवं T-2 में जारी दोनों अनापत्ति प्रमाण पत्र को लेकर छात्र संचालनालय तकनीकी शिक्षा में स्थानांतरण हेतु लिखित आवेदन करेगा।
- 4(x). संचालनालय द्वारा प्रकरण पर आवश्यकतानुसार जांच किया जा सकता है अथवा विना कारण बताये आवेदन को अमान्य भी किया जा सकता है। संतुष्ट हो जाने पर छात्र को संचालनालय द्वारा भी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रारूप T-3 में जारी किया जायेगा।
- 4(xi). उपरोक्त तीनों अनापत्ति प्रमाण पत्र के पश्चात् ही छोड़ने वाली संस्था छात्र को स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी कर सकेगी एवं लेने वाली संस्था प्रवेश दे सकेगी। इसकी सूचना संस्थाओं को विश्वविद्यालय में देना अनिवार्य होगा।
- 2(अ) 5. अन्य राज्यों की AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थाओं से छ.ग. राज्य की किसी तकनीकी संस्था में स्थानांतरण (इंजीनियरिंग एवं फार्मसी)
- 5(i). अन्य राज्यों की शासकीय तकनीकी संस्था से छ.ग. राज्य के शासकीय संस्था में स्थानांतरण रिक्त स्थानों पर ४०३० राज्य के छात्रों की प्राथमिकता के बाद अन्य राज्य के छात्रों का मेरिट के आधार पर किया जा सकेगा।
- 5(ii). अन्य राज्यों के छात्रों का एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्था से छ.ग. राज्यों में तथा ४०३० राज्य के छात्रों का अन्य राज्यों में स्थानांतरण स्थान रिक्त रहने पर उपरोक्त नियति अनुसार छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया जावेगा।

*EPMW*

- 2 (b) एक तकनीकी संस्था से दूसरी तकनीकी संस्था में स्थानांतरण (पॉलीटेक्निक के लिये)
- प्रथम वर्ष में स्थानांतरण पी.पी.टी. नियम अनुसार प्रत्येक संस्था में केवल 04 स्थानांतरण शासन की अनुमति के पश्चात् किये जा सकेंगे। इसके लिये स्थान रिक्त होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये स्थानांतरण प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त Over & above रहेंगे। द्वितीय वर्ष में स्थानांतरण केवल स्थान रिक्त रहने पर ही किये जा सकेंगे। अंतिम वर्ष में स्थानांतरण का प्रावधान नहीं रहेगा। स्थानांतरण का प्रावधान निम्नानुसार रहेगा :-
- 2(b).1. एक शासकीय तकनीकी संस्था से दूसरी शासकीय तकनीकी संस्था अथवा निजी संस्था में स्थानांतरण हो सकेंगे।
- 2(b).2. एक निजी संस्था से अन्य निजी संस्था में स्थानांतरण हो सकेंगे परंतु शासकीय तकनीकी संस्था में स्थानांतरण का प्रावधान नहीं रहेगा।
- 2(b).3. स्थानांतरण के लिये आवश्यकता -
- 3(i) जिस संस्था में स्थानांतरण मांगा जा रहा है वहाँ द्वितीय वर्ष हेतु स्थान रिक्त होने पर ही स्थानांतरण किया जा सकेगा। द्यूशन फी वेबर एवं लेटरल एण्ट्री के कारण रिक्त रह गई सीटों को रिक्त सीट की गणना में नहीं लिया जाना है।
- 3(ii) स्थानांतरण उसी ब्रांच में किया जा सकेगा जिसमें पूर्व कक्षाओं की परीक्षा उत्तीर्ण की होगी। तथापि ब्रांच परिवर्तन के साथ स्थानांतरण भी हो सकेंगे, परंतु इसके लिये विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार अतिरिक्त विषय उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। इस संबंध में छात्र से एक घोषणा पत्र (Undertaking) लेना होगा जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख हो कि छात्र नये ब्रांच में जाने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उस नये ब्रांच के पाठ्यक्रम (Syllabus) के अनुसार अतिरिक्त विषयों की परीक्षा उत्तीर्ण करने की जिम्मेदारी छात्र की स्वयं भी रहेगी।
- 3(iii) स्थानांतरण प्रथम वर्ष में प्रत्येक संस्था में केवल 04 स्थानांतरण (स्थान रिक्त न होने पर भी) तथा द्वितीय वर्ष में रिक्त स्थान उपलब्ध होने पर किया जा सकेगा।
- 3(iv) द्वितीय वर्ष में स्थानांतरण के लिये संबंधित संस्थाओं के प्राचार्यों की अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक होगी।
- 3(v) छ.ग. स्वामी विवेकानन्द तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई, ४००० को सूचना दिया जाना आवश्यक होगा।
- 3(vi) यदि किसी संस्था में स्थानांतरण चाहने वाले छात्रों की संख्या उस संस्था में संबंधित ब्रांच में उपलब्ध रिक्त स्थानों की संख्या से अधिक होगी, तो स्थानांतरण पूर्व वर्ष की परीक्षा में प्राप्तांकों के मेरिट के आधार पर ही किया जा सकेगा।
- 3(vii) स्थानांतरण चाहने वाले छात्र को अध्ययनरत संस्था में तथा जिस संस्था में स्थानांतरण चाहता है दोनों संस्थाओं में स्थानांतरण हेतु लिखित आवेदन करना होगा।
- 3(viii) छात्र के आवेदन पर दोनों संस्थायें अनापत्ति प्रमाण पत्र छात्र को जारी करेंगे अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में छोड़ने वाली संस्था के लिये प्रारूप T-1 एवं लेने वाली संस्था के लिये प्रारूप T-2 में होना अनिवार्य है।
- 3(ix) प्रारूप T-1 एवं T-2 में जारी दोनों अनापत्ति प्रमाण पत्र को लेकर छात्र संचालनालय तकनीकी शिक्षा में स्थानांतरण हेतु लिखित आवेदन करेगा।
- 3(x) संचालनालय द्वारा प्रकरण पर आवश्यकतानुसार जांच किया जा सकता है अथवा बिना कारण बताये आवेदन को अमान्य भी किया जा सकता है। संतुष्ट हो जाने पर छात्र को संचालनालय द्वारा भी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रारूप T-3 में जारी किया जायेगा।
- 3(xi) उपरोक्त तीनों अनापत्ति प्रमाण पत्र के पश्चात् ही छोड़ने वाली संस्था छात्र को स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी कर सकेगी एवं लेने वाली संस्था प्रवेश दे सकेगी। इसकी सूचना संस्थाओं को विश्वविद्यालय में देना अनिवार्य होगा।

2(ब)4. अन्य राज्यों की तकनीकी संस्थाओं से छ.ग. राज्य की किसी तकनीकी संस्था में स्थानांतरण (पॉलीटेक्निक)

- 4(i) अन्य राज्यों की शासकीय तकनीकी संस्था से छ.ग. राज्य के शासकीय संस्था में स्थानांतरण रिक्त स्थानों पर छ0ग0 राज्य के छात्रों की प्राथमिकता के बाद अन्य राज्य के छात्रों का मेरिट के आधार पर किया जा सकेगा।
- 4(ii) अन्य राज्यों के छात्रों का एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्था से छ.ग. राज्यों में तथा छ0ग0 राज्य के छात्रों का अन्य राज्यों में स्थानांतरण स्थान रिक्त रहने पर उपरोक्त निति अनुसार छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया जावेगा।

टीप :-

1. किसी भी प्रकार के स्थानांतरण में होने वाली तकनीकी समस्याओं के लिये छत्तीसगढ़ शासन का निर्णय अंतिम होगा।
2. स्थानांतरण का प्रावधान विद्यार्थियों की सुविधा के लिये है। इसे अधिकार के रूप में ना लिया जाये। किसी भी आवेदन को अमान्य किये जाने का अधिकार संचालक, तकनीकी शिक्षा/प्रशासकीय विभाग/विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा।
3. यदि किसी छात्र को किसी संस्था, किसी ब्रांच के लिये ट्यूशन फी वेहर मिल रही हो तो अन्य संस्था में स्थानांतरण अथवा उसी संस्था में ब्रांच परिवर्तन के कारण उसे इसकी पात्रता नहीं रहेगी।
4. संस्थाओं/संचालनालय/विश्वविद्यालय द्वारा जारी किये जाने वाले अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रारूप संलग्न है।
5. उसी संस्था में ब्रांच परिवर्तन करने के संबंध में संपूर्ण कार्यवाही विवरण जैसे समर्त छात्रों को रिक्त सीटों के बारे में सूचित करना, उनसे आवेदन प्राप्त करना, ब्रांच परिवर्तन के लिये समिति गठित करना, आवेदनों की मेरिट के अनुसार स्कूटनी करना, संस्था प्राचार्य से अनुमोदन प्राप्त करना एवं ब्रांच परिवर्तन के आदेश जारी करना आदि समर्त दस्तावेज संस्था में सुरक्षित रखे जायें। आवश्यकता पड़ने पर किसी भी समय निरीक्षण हेतु दस्तावेज संचालनालय तकनीकी शिक्षा में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

संचालक  
तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़  
रायपुर

छत्तीसगढ़ शासन

तकनीकी विद्या, जनशावित पिंडोजन,

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

सुंचालय, गहानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक ५फ ९-३७ / २०१४ / लक.शि. / ४२

प्रति,

नया रायपुर, दिनांक ६ / ८ / २०१५

आयुवर-सह-संचालय

तकनीकी शिक्षा संचालनालय

इन्द्रावती भवन, नया रायपुर

विषय :- तकनीकी संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रों के ब्रांच परिवर्तन एवं एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानांतरण के संबंध में नीति में संशोधन बाबत।

—०—

राज्य शासन एतद्वारा विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक १८.९.२०१४ के अनुक्रम में छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानन्द तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई के पत्र क्रमांक /छस्वावितवि/प्रशा./२०१५/१९४६, १९४८, एवं १५६-R, दिनांक २९.७.२०१५ द्वारा दी गई सहमति अनुसार अन्य राज्य के तकनीकी संस्थाओं से राज्य में संचालित तकनीकी संस्थाओं में स्थानांतरण करने एवं बंद होने की स्थिति में अध्ययनरत छात्रों को अन्य संस्थाओं में समायोजन करने हेतु तकनीकी संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रों के ब्रांच परिवर्तन एवं एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानांतरण करने के संबंध में पूर्व प्रयत्नित नीति में निम्नानुसार राशोधन किया जाता है :-

नीति संबंधित नीति	संशोधन
(i) अन्य राज्यों की तकनीकी संस्था में स्थानांतरण एवं रथाना पर छ.ग. राज्य के छात्रों को प्राथामिकता के बाद अन्य राज्य के छात्रों का मेरिट के आधार पर किया जा सकेगा।	(i) अन्य राज्यों की तकनीकी संस्था में स्थानांतरण नहीं हो सकेंगे।
5(ii) अन्य राज्यों के छात्रों का एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्था से छ.ग. राज्य में ज्ञाता छ.ग. राज्य के छात्रों का अन्य राज्यों में स्थानांतरण स्थान रिक्त रहने पर उपरोक्त नीति अनुसार छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया जावेगा।	(ii) अन्य राज्यों की एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्था से छ.ग. राज्य की स्वशासी - स्ववित्तीय एवं निजी संस्था में स्थान रिक्त होने की स्थिति में स्थानांतरण हो सकेंगे।
	(iii) अंतर्राज्यीय रथानांतरण के सभी छात्रों को पूर्व सेमेस्टर्स की सभी परीक्षाएं उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।
	(iv) रथानांतरण के लिये छात्र को संबंधित दोनों संस्थाओं एवं वर्तमान विश्वविद्यालय, जहाँ वह अध्ययनरत है, से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर छत्तीसगढ़ के संबंधित विश्वविद्यालय में जमा करना होगा। वांछित संस्था में वांछित ब्रांच में स्थान रिक्त होने की स्थिति में

लाल  
लाल

छत्तीसगढ़ के संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु तकनीकी शिक्षा रांचालनालय द्वारा प्रताव प्रेपित किया जायेगा। तकनीकी शिक्षा संचालनालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा T-3 जारी किया जायेगा।

(v) अंतर्राज्यीय स्थानांतरण मामलों में विष्फूट की स्थिति में प्रकरण पर प्रशासकीय विभाग कुश्ति निर्णय अंतिम होगा।

(vi) राज्य स्तर के स्थानांतरण पश्चात् सीट रिक्त रहने पर अन्य राज्यों के छात्रों का स्थानांतरण उपरोक्त नियमानुसार किया जावेगा। अन्य राज्यों के छात्रों के स्थानांतरण में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी।


2. पूर्व प्रचलित नियम में संस्था बंद होने की दशा में अध्ययनरत छात्रों को अन्य संस्था में समायोजन का कोई प्राप्तिधान नहीं है।

छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित तकनीकी संस्था बंद होने की स्थिति में अध्ययनरत छात्रों का छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य तकनीकी संस्था में स्थानांतरण द्वारा समायोजन किया जावेगा। स्थानांतरण अन्य संस्था की रिक्त सीटों के विरुद्ध किसी भी सेमेस्टर में जिसके लिए छात्रों

प्राप्तिधान के लिए छात्रों के 15% के परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम वे संबंध में कोई बंधन नहीं होगा। स्थानांतरण द्वारा समायोजन की कार्यवाही नियमित स्थानांतरण संफन्न होने के पश्चात् की जावेगी। इस हेतु विश्वविद्यालय द्वांस पूर्व घोषित तिथि में कॉर्टसिलिंग आयोजित की जावेगी। कॉर्टसिलिंग के लिए सैरिट निर्धारण की शर्त विश्वविद्यालय द्वारा तय की जावेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार



(अमृतलाल लिखार)

अवर सचिव

 दूरभाष-0771-2510140

मुख्य कामकाज १४० ७-३७/२०१४/तकनी/८६३

नवीन अधिकारी विभाग २०/२०१५

प्रभागात्मक —

१. विदेश राष्ट्रात्मक, यात्रा, यांत्रीजी, उत्तरीसागर राष्ट्रात्, तकनीकी शिक्षा, जनशाविरा नियोजन, विद्यालय एवं प्रौद्योगिकी विभाग, संवालय, नसा राष्ट्रपुर
२. चुनूनशिविय, उत्तरीसागर रत्नामी निवेदनाद तकनीकी विश्वविद्यालय, मिलाई, जिला चुनून
३. प्राचार्य, रामस्त शासकीय / निजी / इंजीनियरिंग गहाविद्यालय एवं पॉलीटेक्निक / कन्या पॉलीटेक्निक संरथाएं, उत्तरीसागर
४. गारटर फाईल तकनीकी शिक्षा विभाग

सूचनार्थ आवश्यक वर्गीकरण हेतु।

(अमृतलाल लिखार)

उपर संचिय

दूरभाष-०७७१-२५१०१४०